एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीएसआर और एसडी संप्रेषण कार्यनीति

निगमित कार्यालय

विषय–वस्तु

1.	प्रस्तावना		:	2–2
2.	स्कोप		:	2–3
3.	उद्देश्य		:	3–4
4.	हितबद्धों को संप्रेषण		:	4–5
5.	एनएचपीसी की सीएसआर और धारणीयता संप्रेषण कार्यनीति		:	5–5
	5.1	जागरूकता और सुग्राहीकरण	:	5–6
	5.2	संप्रेषण और फीडबैक हस्तक्षेप	:	6–8
	5.3	संप्रेषण के अन्य साधन	:	8–9
	5.4	धारणीयता रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण	:	9–12
	5.5	प्रबोधन	:	12–12
	5.6	समीक्षा	:	12–12
	5.7	उत्तरदायित्व	:	12–13
	5.8	रिकार्ड रख–रखाव	:	13–13
	5.9	प्रबंधन सूचना प्रणाली	:	13–13
6.	सामान्य शर्ते		:	13–14
7.	परिशिष्ट		:	15

1. प्रस्तावना

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संभावित लाभ को केवल तब ही पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है जब इसे लक्ष्य तथा उद्देश्यों को हितधारकों को सुस्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जाए। सीएसआर संप्रेषण की सीएसआर के संभाव्य लाभों को मूर्त रूप देने में एक उत्प्रेरक भूमिका होती है। यह सीएसआर खर्चे को व्यय से निवेश में बदलने में सहायता कर सकता है।

संप्रेषण सदैव दो मार्गीय होना चाहिए। एक–मार्गी से द्वि–मार्गी संप्रेषण में प्रतिमानी परिवर्तन के कई सकारात्मक प्रभाव होते है, जिसमें सीएसआर संप्रेषण/रिपोर्टिंग प्रयासों के प्रभाव में वृद्धि करना, पारदर्शिता को बढ़ाना और हितधारकों द्वारा एक धारित तरीके से कंपनी में अपने विश्वास को पुनः जताना शामिल है। अत्यधिक प्रभावी सीएसआर संप्रेषण को कंपनी की आकांक्षाओं, लोगों, कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदाय के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार और हितधारकों की आकांक्षाओं के अनुरूप होना होता है।

एनएचपीसी के संदर्भ में, सभी हितधारकों के साथ संप्रेषण आवश्यक है ताकि एनएचपीसी में की गई सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के प्रति जनता की सोच तथा मनोवृति में प्रभावी परिवर्तन लाया जा सके और उनमें विश्वास, जवाबदेही तथा जानकारी बांटने की संस्कृति डाली जा सके, जो दीर्घावधि में एक धारणीय प्रतिस्पर्धी लाभ सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

2. स्कोप

सीपीएसई हेतु 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होने वाले निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता संबंधी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देश यह बताते है कि ''संप्रेषण सभी हितधारकों को भली–भांति सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कर्मचारियों को ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापार प्रक्रियाएं न केवल वैश्विक रूप से स्वीकार्य नीति–शास्त्र प्रणालियों और धारणीय प्रबंधन प्रक्रियाओं के

अनुरूप है, बल्कि बाहरी हितबद्धों के साथ उनका नियोजन इन मूल्यों पर आधारित हों।''

डीपीई दिशा–निर्देश आगे यह बताते है कि सीपीएसई को निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी कंपनी के अनुरूप होने वाली विशिष्ट सीएसआर संप्रेषण रणनीति को अपनाना चाहिए।

निगमित उद्यमों से प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाविधियों में पारदर्शिता के माध्यम से संगठनात्मक एकीकरण और नैतिकतापूर्ण व्यापार व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए पहल करने की आशा की जाती है। सीएसआर तथा धारणीय विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में की गई प्रगति या प्राप्त सफलता के संबंध में दस्तावेजीय साक्ष्य तथा अन्य रिकार्डों को धारणीयता रिपोर्टिंग और सभी हितबद्धों की सूचना के लिए रखा जाना चाहिए। सीएसआर तथा धारणीयता एजेंडा को संगठन में सभी स्तरों पर आंतरिक रूप से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें कर्मचारियों के मध्य सीएसआर तथा धारणीयता के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए आंतरिक संचार कार्यनीतियां बनाना चाहिए।

3. <u>उद्देश्य</u>

किसी संगठन को अपने लोगों के साथ संप्रेषण करना चाहिए। उसे अपने हितबद्धों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए ताकि वे उसके लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा पहलों और प्रमुख उपलब्धियों से भी भिज्ञ रहे।

संप्रेषण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब फीडबैक हितधारकों से भी लिया जाए, जो सुधार के अवसरों तथा सभी हितधारकों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं का पता लगाने के पश्चात सामुदायिक विकास क्रियाकलापों हेतु भविष्य का रोड मैप तैयार करने के रूप में कंपनी हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।

एनएचपीसी की निगमित सीएसआर संप्रेषण कार्यनीति को निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया हैं :

- प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाविधियों में पारदर्शिता के माध्यम से संगठनात्मक सत्यनिष्ठा तथा नैतिकतापूर्ण व्यापार व्यवहारों को बढ़ावा देना।
- सीएसआर तथा धारणीयता रिपोर्ट के माध्यम से हितधारकों को किए जा रहे सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी मुहैया करवाना।
- समुदाय को सामुदायिक विकास के लाभों के संबंध में सूचित करना और समुदाय की साख, सामाजिक प्रभाव और दृश्यता का सृजन करना।
- सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं/कार्यक्रमों में हितधारकों को शामिल करने को सुनिश्चित करना और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- एनएचपीसी के सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों/पहलों की सकारात्मक मीडीया कवरेज को प्रोत्साहित करना।

4. हितधारकों का संप्रेषण

संप्रेषण संगठन और इसके हितधारकों के मध्य विश्वास को सुदृढ़ करता है। हितधारकों से उनकी आशाएं जानने के लिए उन्हें शामिल करना निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वास्तविक हितधारकों को शामिल करना हितधारकों की ग्राहयता तथा धारणीयता रिपोर्टिंग सहित सीएसआर तथा धारणीयता प्रयासों की उपयोगिता में वृद्धि करता हैं।

प्रमुख हितधारक

- कर्मचारी (आंतरिक हितधारक)
- स्थानीय समुदाय और प्रभावित जनसंख्या
- जिला प्रशासन और राज्य सरकार के विभाग
- निर्वाचित जन प्रतिनिधि
- शेयरधारक और निवेशक

- एनजीओ/समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ)/ सिविल सोसाइटियां
- संविदाकार
- शिक्षा संस्थान

5. एनएचपीसी की सीएसआर और धारणीयता संप्रेषण कार्यनीति

पैरा 3 में दिए गए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सीएसआर तथा धारणीयता संप्रेषण कार्यनीति को निम्नलिखित मोटी श्रेणियों में बनाया गया है :

1) सीएसआर तथा धारणीयता पर सुग्राहीकरण और जागरूकता में वृद्धि करना और मूल्य श्रृंखला में सीएसआर तथा धारणीयता को प्रोत्साहित करना।

2) सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं/क्रियाकलापों के चयन और क्रियान्वयन तथा पहलुओं की पहचान के संबंध में हितधारकों के मत तथा प्राथमिकताओं को जानने के लिए प्रमुख हितधारकों को शामिल करना।

3) जीआरईआई 4 दिशा–निर्देशों के अनुरूप धारणीयता रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण।

5.1 जागरूकता और सुग्राहीकरण

सीएसआर और धारणीयता मुद्दों के प्रति जागरूकता और सुग्राहीकरण का अभाव सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के क्रियान्वयन में कंपनी के प्रयासों को खतरे में डाल सकता है। अतः आंतरिक तथा बाहरी हितधारकों का सुग्राहीकरण आवश्यक हो जाता है ताकि उनकी प्रतिबद्धता को संगठन के सीएसआर तथा धारणीयता प्रयासों के अनुरूप बनाया जा सके। इस सोच के साथ, सभी हितधारकों का निम्नलिखित के संबंध में संप्रेषण के माध्यम से सुग्राहीकरण किया जाएगा :

- एनएचपीसी के सीएसआर तथा धारणीयता लक्ष्य, योजनाएं और कार्यनीतियां।
- शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, माता के स्वास्थ्य में सुधार तथा बाल मृत्यु दर को कम करना, एचआईवी/एड्स,

मलेरिया तथा अन्य रोगों को रोकना, पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करना आदि संबंधी यूएन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य।

- व्यापक सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय धारणीयता हेतु प्रचलन में होने वाले सामुदायिक विकास कार्यों संबंधी श्रेष्ठ व्यवहार।
- प्रत्येक पृथक हितधारक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व।

5.2 संप्रेषण और फीडबैक हस्तक्षेप

सभी हितधारकों से सुग्राहीकरण तथा फीडबैक निम्नलिखित हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जाएगा :

क) आंतरिक हितधारकों के साथ संप्रेषण :

– सीएसआर तथा धारणीयता मुद्दों, संगठन के सीएसआर लक्ष्यों तथा कार्यनीतियों के संबंध में कर्मचारियों के सुग्राहीकरण हेतु विभाग प्रमुखों और क्षेत्रीय प्रमुखों के लिए निगमित/क्षेत्रीय स्तर पर संप्रेषण आवश्यकतानुसार कार्यपालक निदेशक (सीएसआर तथा धारणीय विकास) द्वारा किया जाएगा। विभाग प्रमुख/ क्षेत्रीय प्रमुख उक्त मुद्दों पर अपने नियंत्रणाधीन आने वाले कर्मचारियों के साथ बैठकें करेंगे। विभाग प्रमुख/ क्षेत्रीय प्रमुख से फीडबैक लिया जाएगा और सीएसआर तथा धारणीयता कार्यनीति में सुधार के क्षेत्रों, यदि कोई हो, की पहचान की जाएगी।

– सभी क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजनाएं/ विद्युत स्टेशन एक सीएसआर–समन्वयक को नामित करेंगे, जो सभी आंतरिक संप्रेषण हेतु एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

– सीएसआर और धारणीय विकास प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारी (महाप्रबंधक/ मुख्य प्रबंधक) सीएसआर और धारणीयता लक्ष्यों तथा कार्यनीतियों पर परियोजना/ विद्युत स्टेशनों के प्रमुखों (एचओपी) और परियोजना/ विद्युत स्टेशन स्तर पर सीएसआर और धारणीयता कार्यों को देख रही उनकी टीम के साथ संप्रेषण करेंगे। संप्रेषण की

आवृत्ति का निर्णय आवश्यकतानुसार किया जाएगा। एचओपी तथा उनकी टीम से फीडबैक लिया जाएगा तथा सीएसआर और धारणीयता में सुधार के क्षेत्र, यदि कोई हो, की पहचान की जाएगी।

- उक्त बैठकों के निष्कर्षों को सीएसआर विभाग द्वारा आवधिक रूप से प्रबंधन/ बोर्ड स्तरीय समिति को संप्रेषित किया जाना चाहिए।
- सीएसआर और धारणीयता पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं/विचार गोष्ठियों/ संगोष्ठियों का आयोजन सीएसआर और धारणीय विकास विभाग, कारपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों/परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों द्वारा किया जाएगा।
- श्रमिक संघ को शामिल करना : कारपोरेट कार्यालय और परियोजनाओं/ क्षेत्रीय कार्यालयों/विद्युत स्टेशनों दोनों पर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ सीएसआर और धारणीयता को समर्पित एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए।

ख) बाहरी हितधारकों के साथ संप्रेषण :

- एनएचपीसी की सीएसआर और धारणीयता नीति, कार्यनीति, पहलों आदि पर हितबद्धों के साथ परामर्श परस्पर बैठकों/कार्यशालाओं के माध्यम से किया जाएगा। ये बैठकें/कार्यशालाएं क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी, जिसमें पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिनिधियों/ हितधारकों को आमंत्रित किया जाएगा। सभी हितधारकों से फीडबैक लिया जाएगा और उसे निगमित सीएसआर और धारणीय विकास विभाग को संप्रेषित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का आयोजन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाएगा। दूरी की बाध्यताओं के कारण अपवादस्वरूप मामलों में, ये बैठकें/कार्यशालाएं परियोजना स्तर पर सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात भी हो सकती हैं।

– बैठक के निष्कर्ष को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों अथवा अन्य किसी उचित साधन के माध्यम से निगमित सीएसआर और धारणीय विकास विभाग को सूचित किया जाएगा।

– कार्यक्रमों को अच्छी मीडिया कवरेज देकर चिंता के प्रमुख मुद्दों और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक/सुझावों को दर्शाया जाना चाहिए।

– एनएचपीसी की सीएसआर और धारणीयता नीति, संप्रेषण कार्यनीति, सीएसआर और धारणीयता पर वार्षिक रिपोर्ट आदि को सभी हितधारकों (आंतरिक और बाहरी दोनो) के संदर्भ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट पर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

5.3 संप्रेषण के अन्य साधन

हितधारकों को सीएसआर और धारणीयता के अंतर्गत एनएचपीसी की पहलों का संप्रेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ संप्रेषण के कई प्रभावी माध्यम मौजूद हैं। एनएचपीसी को संप्रेषण के इन साधनों का उपयोग करना चाहिए, जिसकी संकेतात्मक सूची निम्नानुसार हैं :

(क) भुगतान किए गए विज्ञापन

- प्रिंट मीडिया – समाचार पत्र, पत्रिका
- जन मीडिया अर्थात रेडियो, टेलीविजन, स्थानीय केबल चैनल
- मॉल में प्रदर्शित करना और एअरपोर्टों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य संस्थापनाओं पर प्रदर्शित करना

(ख) मुद्रित सामग्री

- ब्राउशर/पैम्फलेट/प्रकाशन
- पोस्टर/बैनर

- न्यूजलेटर
- सीएसआर और धारणीयता संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

(ग) जन मीडिया

- मीडिया के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार
- समाचार विज्ञप्ति

(घ) सामुदायिक संपर्क

- प्रमुख हितधारकों की बैठकें
- व्यक्तिगत विचार–विमर्श

(ड) निगमित संप्रेषण

- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, व्यापार मेंलों, व्यापार बैठकों आदि में एनएचपीसी द्वारा किए सीएसआर और धारणीयता कार्यों को दर्शाने वाले कटआउट तथा ब्लोअप का प्रदर्शन
- उक्त अवसरों पर एनएचपीसी द्वारा किए सीएसआर और धारणीयता कार्यों पर वृतचित्रों को चलाना।

5.4 रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण

धारणीयता रिपोर्टिंग संगठन को लक्ष्य निर्धारित करने, कार्य–निष्पादन मापने और क्रम में परिवर्तन के प्रबंधन में सहायता करती है ताकि उनके प्रचालनों को और धारणीय बनाया जा सके। एक धारणीयता रिपोर्ट किसी संगठन के पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभावों संबंधी प्रकटीकरण को संप्रेषित करती है – चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ऐसा करने में, धारणीयता रिपोर्टिंग अमूर्त मुद्दों को मूर्त तथा ठोस बना देती है, जिससे संगठन के क्रियाकलापों तथा रणनीति पर धारणीय विकास के

प्रभावों को समझने तथा उनका प्रबंधन करने में सहायता मिलती है। लोक प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग स्वयं पहलों से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

डीपीई दिशा–निर्देश कहते है कि किसी कंपनी के वित्तीय कार्य–निष्पादन का प्रकटीकरण एक परम्परागत व्यवहार है, परंतु गैर–वित्तीय पैरामीटरों का प्रकटीकरण, जो किसी कंपनी के कार्य–निष्पादन का एक समग्र मत प्रस्तुत करता है, अपेक्षाकृत रूप से एक हाल का तथ्य है जो एक ऐसे अच्छे निगमित व्यवहार के रूप में तेजी से स्वीकृति तथा मान्यता प्राप्त कर रहा है जिससे प्रतिष्ठा बढ़ती है, वित्तीय कार्य–निष्पादन में सुधार होता है और दीर्घावधि में कंपनी के प्रतिस्पर्धी लाभ में वृद्धि होती हैं। बड़ी संख्या में कंपनियां धारणीयता रिपोर्टिंग का सहारा ले रही है और इसका प्रारूप आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य रिपोर्टिंग ढांचों जैसे कि **ग्लोबल रिपोर्टिंग इनीशियेटिव (जीआरआई)** के पैटर्न पर है।

जीआरआई 04 दिशा–निर्देशों का उपयोग करते हुए एक धारणीयता रिपोर्ट तैयार करना एक हाल ही का तथ्य है। किसी धारणीयता रिपोर्ट को तैयार करने के केन्द्र में फोकस ऐसे भौतिक पहलुओं की पहचान करने पर होता है जो संगठन के महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक पहलुओं को प्रदर्शित करते हों।

एनएचपीसी की धारणीयता रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

क) एनएचपीसी की प्रोफाइल :

एनएचपीसी की प्रोफाइल में परियोजनाओं की अवस्थिति, विद्युत स्टेशन, समग्र रूप से कंपनी की मुख्य विशेषताओं, कर्मचारियों के विवरण, आवश्यक समझे जाने वाले वित्तीय तथा गैर वित्तीय ब्यौरों के संबंध में विवरण शामिल होने चाहिए।

ख) धारणीयता संदर्भ :

धारणीयता रिपोर्टिंग का आधारभूत प्रश्न यह है कि कोई संगठन किस प्रकार स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा वैश्विक स्तर पर आर्थिक, पर्यावरणीयतथा सामाजिक स्थितियों, घटनाओं

तथा प्रवृत्तियों के सुधार या क्षय में योगदान देता है, या भविष्य में योगदान देने का लक्ष्य रखता है। रिपोर्ट एनएचपीसी के कार्य–निष्पादन को धारणीयता के व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करेगी।

ग) भौतिकता सिद्धांत :

रिपोर्ट उन पहलुओ को कवर करेगी जो आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक पहलुओं पर एनएचपीसी के महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करते हों।

– आर्थिक पहलुओं में निम्नलिखित सहित आर्थिक कार्य–निष्पादन पर ब्यौरे शामिल होंगे :

1. सृजित राजस्व
2. कर्मचारी वेतन तथा लाभ के प्रति लागत
3. सामाजिक और सामुदायिक विकास लागतें

– पर्यावरणीय पहलुओं में निम्नलिखित के प्रति की गई पहलों सहित **पर्यावरणीय कार्य–निष्पादन** पर ब्यौरे शामिल होंगे :

1. ऊर्जा संरक्षण
2. गैर–परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंटों में कमी
3. पर्यावरणीय संरक्षण पहलें
4. अवशिष्ट प्रबंधन/कमी तथा पुनः चक्रण
5. जल संरक्षण/संचयन
6. स्वच्छ विकास तंत्र
7. पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार तथा सम्मान
8. अन्य कोई पर्यावरणीय पहल

– सामाजिक पहलुओं में निम्नलिखित के प्रति की गई पहलों सहित सामाजिक कार्य–निष्पादन पर ब्यौरे शामिल होंगे :

1. किए गए सामाजिक और सामुदायिक विकास कार्य
2. परिधीय विकास कार्य

3. श्रम व्यवहार/संबंध
4. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
5. स्थानीय समुदाय को व्यावसायिक प्रशिक्षण
6. कौशल विकास पहलें
7. लैंगिक समानता
8. कार्य स्थल पर भेदभाव न करना
9. मानव संसाधन/सामाजिक क्षेत्र में पुरस्कार तथा सम्मान
10. अन्य कोई सामाजिक मुद्दा

5.5 प्रबोधन

- परियोजनाओं/ विद्युत स्टेशनों पर सीएसआर और धारणीयता क्रियाकलापों के उचित और प्रभावी संप्रेषण को सुनिश्चित करना, आवधिक प्रबोधन सीएसआर और धारणीय विकास विभाग, निगमित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- सीएसआर संयोजक के अतिरिक्त, सीएसआर समिति को परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों/यूनिटों/क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु भी गठित किया जाएगा जिसमें आवधिक बैठक हेतु परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों/यूनिटों/क्षेत्रीय कार्यालयों के 3–4 सदस्य शामिल होंगे।

5.6 समीक्षा

सीएसआर और धारणीय विकास विभाग के प्रमुख सीएसआर संप्रेषण कार्यनीति की इसकी प्रभावोत्पादकता के लिए एक वार्षिक समीक्षा करेंगे ताकि और सुधार, यदि अपेक्षित हो, की दृष्टि से सुधारात्मक कार्रवाई/संशोधन किए जा सके।

5.7 उत्तरदायित्व

नोडल अधिकारी (निगमित कार्यालय के सीएसआर और धारणीय विकास विभाग के प्रमुख) इस सीएसआर और संप्रेषण कार्यनीति के समग्र क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

यह मापने के लिए कि क्या संप्रेषण लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है या नहीं , निम्नलिखित मापन उपकरणों का उपयोग किया जाएगा :

- व्यवस्थित प्रश्नावली, साक्षात्कार, चर्चाएं आदि
- कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/बैठकों आदि के माध्यम से बाहरी फीडबैक
- मीडिया रिपोर्टिंग

5.8 रिकार्ड रख–रखाव

हितधारकों से किए गए सारे पत्राचार को निगमित कार्यालय के सीएसआर और धारणीय विकास विभाग की संगत फाइलों में एक आसानी से प्राप्त किए जा सकने वाले तरीके से रखा जाएगा। सीएसआर और धारणीय विकास कार्यनीति के अनुपालन में आयोजित की जाने वाली सभी बैठकों के रिकार्ड को निगमित कार्यालय और संबंधित परियोजना/विद्युत स्टेशन/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रखा जाएगा।

5.9 प्रबंधन सूचना प्रणाली

संबंधित परियोजना/विद्युत स्टेशन/क्षेत्रीय कार्यालयों के सीएसआर संयोजक द्वारा निगमित कार्यालय के सीएसआर और धारणीय विकास विभाग को त्रैमासिक आधार पर आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सीएसआर और धारणीय विकास विभाग उक्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत डाटा का उपयोग सीएसआर और धारणीय विकास वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए करेंगे। एक सुझावात्मक प्रारूप **परिशिष्ट–क** के रूप में संलग्न है।

6. सामान्य शर्तें

- संप्रेषण मुक्त, ईमानदार और दो मार्गी होगा।
- संप्रेषण सतत आधार पर किया जाएगा।

- लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संदेशों को अनुकूल बनाया जाएगा।
- लक्षित हितधारकों को सूचना के प्रभावी रूप से पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें कई चैनलों के माध्यम से संप्रेषित किया जाए।
- संप्रेषण के प्रबोधन, जांच तथा सुधार के लिए फीडबैक लिया जाएगा तथा उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
- इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया में प्रचार हेतु सीएसआर और धारणीयता से संबंधित सभी प्रस्तावों को विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं पर सीएसआर संयोजकों और निगमित स्तर पर सीएसआर और धारणीय विकास विभाग के माध्यम से निर्माण, प्रकाशन और प्रसारण हेतु भेजा जाएगा।
- टीवी/रेडिया चैनल पर प्रसारण की उच्च लागत के मद्देनजर, इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रचार को काफी विवेकसम्मत तरीके से प्रचार आवश्यकता तथा निधि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाना चाहिए।
- प्रचार अभियान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए निगमित कार्यालय/संबंधित परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय/यूनिटों को सीएसआर संबंधी जन संपर्क कार्यों हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित करना चाहिए।

परिशिष्ट – क

सीएसआर क्रियाकलापों की रिपोर्ट हेतु प्रोफार्मा

परियोजना/विद्युत स्टेशन/यूनिट का नाम :

(क) समझौता ज्ञापन लक्ष्यों से संबंधित क्रियाकलाप :

क्रम सं.	वर्ष 2013–14 हेतु सीएसआर एमओयू उपलब्धियां	आवंटित लक्ष्य	माह	किए गए क्रियाकलापों का विवरण	भौतिक प्रगति	माह के अंत तक किया गया व्यय	मीडिया कवरेज	दस्तावेजीय प्रमाण	शामिल किया गया लोक निकाय (ग्राम पंचायत/ एसडीएम/ स्थानीय प्राधिकारी आदि)	टिप्पणी

(ख) किए गए अन्य सीएसआर क्रियाकलाप :

क्रम सं.	लिए गए क्रियाकलापों का नाम	समय–सीमा/ लक्ष्य	माह	किए गए क्रियाकलापों का विवरण	भौतिक प्रगति	माह के अंत तक किया गया व्यय	मीडिया कवरेज	दस्तावेजीय प्रमाण	शामिल किया गया लोक निकाय (ग्राम पंचायत/ एसडीएम/ स्थानीय प्राधिकारी आदि)	टिप्पणी